

कार्यवाही विवरण

मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लाट क्रमांक 102, कुल क्षेत्रफल-2.39 हेक्टेयर में स्थापित उद्योग के एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-59,400 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 10 टन सीसीएम) से बढ़ाकर 1,48,000 टन प्रतिवर्ष (4 गुणा 12 टन सीसीएम) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 11 नवम्बर 2021 का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लाट क्रमांक 102, कुल क्षेत्रफल-2.39 हेक्टेयर में स्थापित उद्योग के एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-59,400 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 10 टन सीसीएम) से बढ़ाकर 1,48,000 टन प्रतिवर्ष (4 गुणा 12 टन सीसीएम) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 11.11.2021, दिन-गुरुवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम-तराईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं निखिल अग्रवाल, डायरेक्टर राधेगोविन्द स्टील एण्ड एलॉयस प्रा. लिमिटेड आप सभी का इस सभा में स्वागत करता हूं। हमारे वर्तमान संचालित इंडक्शन फर्नेस से एम एस इंगाट्स/बिलेट निर्माण इकाई में क्षमता विस्तार हेतु

पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित इस जन सुनवाई सभा में आए सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त अपर कलेक्टर श्री आर. ए. कुरुवंशी एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ की ओर से उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी श्री शीतेश वर्मा जी एवं उनकी टीम के सभी सदस्यों का स्वागत है। जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों तथा उपस्थित समस्त जन प्रतिनिधियों तथा ग्राम वासियों का स्वागत करता हूँ। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना ओपी जिंदल औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा के लगभग 2.39 हेक्टेयर भू भाग पर, इंडक्शन फर्नेस की वर्तमान क्षमता 59400 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 148000 टन प्रतिवर्ष एम एस इंगाट/बिलेट बनाने की इकाई लगाने का प्रस्ताव है। इस हेतु एस ई आई ए ए छत्तीसगढ़ को आवेदन किया जिस पर हमें टीओआर क्रमांक 563/एसईएसीछग/उद्योग/रायगढ़/957 दिनांक 23.06.2021 प्राप्त हुआ। एनवायरमेंट कन्सल्टेंट मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड ने ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुरूप टीओआर के संदर्भ पर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार किया है। प्रतिवेदन में प्रस्तावित क्षमता विस्तार से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव तथा उत्पन्न होने वाले प्रभावों के शमनकारी उपायों का वर्णन किया है। एनाकॉन लेबोरेटरी ने उद्योग परिसर से 10 किमी. त्रिज्या के अध्ययन क्षेत्र में बेसलाइन डाटा का अध्ययन किया। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन से जल, वायु, ध्वनि तथा मृदा के नमूनों के जांच से पाया कि नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप है। हमारे प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार के ईंधन या कोयले का उपयोग नहीं होने वाला है तथा परियोजना पूर्ण रूप से विद्युत ऊर्जा से संचालित होगी तद्वैव परियोजना का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव भी नगण्य है। परियोजना ओ पी जिंदल औद्योगिक पार्क में प्लॉट नंबर 102 में 2.39 हेक्टेयर भूमि पर संचालित है तथा उसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है। अतिरिक्त भूमि का क्रय क्षमता विस्तार में शामिल नहीं है। परियोजना की भूमि औद्योगिक उपयोग की भूमि है तथा प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता नहीं है। परियोजना हेतु उपयोग होने वाली कुल में से 34 प्रतिशत 0.8127 हेक्टेयर ग्रीनबेल्ट के रूप में विकसित किया जावेगा। हमारी परियोजना पूर्णतः विद्युत आधारित परियोजना है। परियोजना में किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला या फर्नेस ऑयल आदि का उपयोग प्रस्तावित नहीं है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना की जावेगी। जिसमें चिमनी की उंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जावेगी। परियोजना में एम एस इंगाट बिलेट उत्पादन हेतु रॉ मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन, सीआई, पिग आयरन, हैवी स्क्रेप, फेरो एलायस का उपयोग होना प्रस्तावित है। जो कि समीप के उद्योगों से क्रय किया जावेगा। परियोजना में सॉलिड वेस्ट के रूप में डिफेक्टिव बिलेट उत्पन्न होगा जिसे प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जावेगा। इंडक्शन फर्नेस से उत्पन्न होने वाले मिल स्केल को प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जायेगा बची हुई मात्रा को अन्य फेरो एलायस या पेलेट प्लांट को कच्चे माल के रूप में बेचा जावेगा। इंडक्शन फर्नेस स्लेग उत्पन्न होगा जिसे मेटल रिकवरी यूनिट को दिया जावेगा। रिफैक्टरी वेस्ट को पुनर्चक्रणकर्ता अथवा लैंडफिल अथवा ईट बनाने के लिये दिया जावेगा। परियोजना में उत्पन्न होने वाले सभी

अपशिष्टों का उचित प्रबंधन किया जावेगा। परियोजना से गैसीय उत्सर्जन की संभावना नहीं है वरन धूलकण उत्सर्जन ही संभावित है। इंडक्शन फर्नेस में लिस हेतु मुवेबल सक्शन हुड के साथ बैग फिल्टर का उपयोग किया जावेगा। पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को 30 मिग्रा/सा.घनमीटर तक नियंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में जल का स्रोत भू जल होगा इस हेतु केन्द्रीय भूमिकत प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावेगी परियोजना का क्षेत्र केन्द्रीय भूमिगत प्राधिकरण के अनुसार सेफ जोन में है। परियोजना में कुल 90 कि.लीत्र जल प्रतिदिन उपयोग होगा। इस हेतु आवश्यक अनापत्ति सीजीडब्ल्यूए से प्राप्त की जा चुकी है। सीजीडब्ल्यूए के मार्गदर्शन में वाटर रिचार्ज की व्यवस्था भी की जावेगी। परियोजना में जल उपयोग शीतलन हेतु किया जावेगा। शीतलन हेतु क्लोस्ड सर्किट कुलिंग सिस्टम लगाया गया है। जिसमें जल लगातार पनर्चक्रित होता है। तदैव प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कर्मियों उपयोग किए जाने वाले घरेलू उपयोग से उत्पन्न दूषित जल के निराकरण हेतु एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण किया जावेगा। क्षमता विस्तार परियोजना में प्रस्तावित लागत 6.80 करोड़ रुपये होने का अनुमान है तदैव सीईआर के तहत 07 लाख रूपसे सीईआर (कार्पोरेट एनवायरमेंटल रिसपॉन्सबिलिटी) के रूप में खर्च किए जावेंगे। सीईआर पर व्यय जन भावना के अनुरूप आस-पास के क्षेत्र में पर्यावरण गुणवत्ता उन्नयन तथा दुष्प्रभाव शमन हेतु किया जाना अपेक्षित है तदैव आप सबसे सुझाव आमंत्रित है। परियोजना में कार्यरत कर्मचारी ज्यादातर स्थानीय क्षेत्र से हैं भविष्य में भी स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना से संबंधी जो भी सुझाव हैं उन्हें हम यथा संभव तथ श्रेष्ठ ढंग से अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। निवेदन है कि उपस्थित जन समुदाय हमारे पर्यावरण प्रिय परियोजना को अपना समर्थन प्रदान करने की कृपा करें।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 600-700 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 112 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है -

405. बलराम, तराईमाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
406. उमेश – हमारे क्षेत्र में उद्योग लगा है और विकास हुआ है और हमारे क्षेत्र में राधेगोविंद लगा हुआ है जिसका मैं समर्थन करता हूँ।
407. संदीप – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
408. नंदकुमार, सराईपाली – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
409. विजय – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
410. अनिल, सराईपाली – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
411. उमेश, सराईपाली – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
412. सुनील, सराईपाली – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
413. निर्मल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
414. जगन्नाथ – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
415. प्रेमप्रकाश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
416. लखन – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
417. राकेश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
418. राजकुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
419. अनित – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
420. सनाद – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
421. बंशीराम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
422. कौशल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
423. नरायण – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
424. राधेश्याम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
425. श्रवण – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
426. रमेश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
427. कमलेश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
428. मुस्तफा – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
429. रोहित कुमार, सराईपाली – मैं कहना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र युवाओं से भरा हुआ है और यहा पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार घुम रहे हैं और मैं प्लांट वाले से भी कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं उनको योग्यता अनुसार काम देने की कृपा करें। यह क्षेत्र बहुत से प्लांटों से घिरा हुआ है और यहा बहुत ही भारी वाहन आना-जाना करते हैं, ट्रको में बहुत लोडिंग होता है, यहा गेरवानी में लिखा गया है कि भारी ट्रक

यहा वर्जित है, जिससे धूल, डस्ट उड़ता है। हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को काम देने का प्रयास करे और इस प्लांट को मैं समर्थन करता हूँ।

430. उद्धव प्रसाद पण्डा, गौरमुड़ी – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ लेकिन हमारे क्षेत्र में जो कमी है विशेष करके प्रदूषण को ध्यान देना चाहिये। सभी जगह डस्ट है थोड़ा ध्यान देते तो यह क्षेत्र प्रदूषण से वंचित रह जाता। हमारे युवाओं को रोजगार दे, धार्मिक कार्यों में सहभागी बने, हमारे हर दुःख-सुख में आये।
431. सेतराम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
432. रवि प्रधान – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
433. दिनेश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
434. रामप्रवेश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
435. रामप्रिय, बिहार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
436. वृंदा महतो – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
437. रविन्द्र कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
438. अशोक – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
439. एस.एस. भोय, सराईपाली – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ लेकिन जो पर्यावरण है रात भर में पूरा डस्ट जम रहा है, जिंदल में बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। यहा के क्षेत्र वाशी डस्ट नहीं खाना चाहते।
440. रामेश्वर – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
441. राधेलाल साहू – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
442. राधे, तराईमाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
443. मनीराम, तराईमाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
444. मोतीराम, तराईमाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
445. सनीराम, तराईमाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
446. कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
447. संजय – कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
448. कार्तिकराम – कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
449. भानुमति, तराईमाल – कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
450. इतवारीन – कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।
451. सुमती – कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन है।

452. पुरन लाल, सामारूमा – कमल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड. एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
453. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – आज की जो जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ आज की जनसुनवाई का बुनियादी सवाल यह है कि केन्द्री वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है। ई.आई.ए. अगस्त 2021 में बनाई गई है याने ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी ने विगत 01 साल के जो 03 सीजन के डाटा है उसको इस अध्ययन रिपोर्ट में लिया होगा, परन्तु अगर पुरी प्रक्रिया को देखे तो दो सिजन ऐसे है जो इस ई.आई.के. के डाटा के अनुसार यहा का कोरोना के प्रकोप में था तब के डाटा बताये जा रहे है जबकि रायगढ़ जिले में 144 धारा लगाई गई थी और कहा गया था कि समुह के रूप में कोई मीटिंग, बैठक, मिलना-जुलना नहीं किया जा सकता था तो बुनियादि सवाल है कि ई.आई.ए. बनाने वाली कंपनी ने ई.आई.ए. किस समय बनाया, जितनी भी जनसुनवाईयां हुई है उसमें 02 तथ्य हमेशा गायब हो जाते है एक तो हाथी का मामला है जो गायब कर देते है, पूंजीपथरा से 01 किलोमीटर तमनार रोड पर जाये तो हाथी प्रभावित क्षेत्र वन विभाग द्वारा लगाया गया है और उससे 200 मीटर दूर जायेंगे तो वहा एलिफेंट वाच टॉवर बनाया गया है जिसके लिये 4 लाख 80 हजार रूपये खर्च किये गये है और सामारूमा के पास भी टॉवर लगाये गये है लेकिन वो चिजे आपकी ई.आई.ए. के अंदर नहीं आती। रायगढ़ जिले में जो औद्योगिकीकरण हुआ है विगत 20 सालों में सड़क का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला बल्कि उद्योग और खदान व्यापक पैमाने पर स्थापित हुये है उसके पास रहने वाले लोगो के जन-जीवन पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मामले में हम साईलेंट है। रायगढ़ जिले के सभी उद्योग मिलकर स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिये जो 20 किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र के लोग आते है उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिये जिससे पता चल सके कि यहा का स्वास्थ्य कैसा है। जब हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जनवरी 2021 से लेकर अब तक 252 दुर्घटनाये रायगढ़ जिले में हुई है जिसमें 482 लोगो की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जिले में इन्फ्रास्ट्रक्चर का ना होना। मैं कहता हूँ कि यहा उद्योग लगे लेकिन यहा के रोड को ठीक कर लीजिये। यहा की जनता चाहे तो यहा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। रायगढ़ जिले में सितम्बर महिने में एन.जी.टी. की एक टीम आई थी जिसने एन.जी.टी. को एक रिपोर्ट सौपा है उस रिपोर्ट में उन्होने कहा है रायगढ़ जिले में जो उद्योग है उनके द्वारा पर्यावरणीय मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, दूसरा उन्होने कहा कि रायगढ़ जिले का एयर पाल्युशन बहुत ज्यादा खराब है पुरे छत्तीसगढ़ में, और उन्होने कहा कि रायगढ़ जिले में जल प्रदूषण है। लगभग 42000 घनलीटर पानी हमारे रायगढ़ जिले के उद्योग ग्राउण्ड वाटर पानी का उपयोग करते है जिससे पानी भी व्यापक पैमाने पर प्रदूषित हो रहा है। रायगढ़ जिले के पर्यावरणीय मापदण्डों पर हम क्या कर सकते है। रायगढ़ जिले में आज की तारीख में 380 उद्योग

है इसमें स्पंज ऑयरन, पॉवर प्लांट, मिनि स्पंज प्लांट है, 10 से ज्यादा यहा कोल माईस भी चल रही है इसके बाद भी हमारे रायगढ़ जिले के रोजगार कार्यालय में लगभग 1 लाख 94 हजार पढ़े-लिखे जवान जो है वो बेरोजगार है वे दूसरे राज्यों में मजदुरी करने के लिये पलायन कर रह है। इन उद्योगों में पहली प्राथमिकता स्थानिय युवाओं की हो, ऐसे युवा जो 18 वर्ष से ज्यादा के है उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिये जिसके लिये राज्य सरकार की एक योजना है कि कोई उद्योग 70 प्रतिशत स्थानिय लोगो को रोजगार देता है तो उसको कई तरीके से राज्य सरकार छुट देती है परन्तु हमारे रायगढ़ जिले के उद्योग उस छुट को भी लेते है और स्थानिय बेरोजगार को रोजगार भी नहीं देते है इसके लिये भी विचार करने की जरूरत है। हमारे जो उद्योग लगाने वाले साथी है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है इन चिजो पर अगर प्राथमिकता से ध्यान देते है, स्थानिय लोगो को रोजगार देंगे।

454. बोधराम सिदार, भैंसगढ़ी - शासन निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में डस्ट एवं धुंआ उड़ रहा है सड़क की व्यवस्था की जाये जो भी समस्या है उसे झेलना तो हमें ही तो शासन इस ओर ध्यान दें। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
455. नरेश कुमार प्रधान, पाली - मैं किसान का बेटा हूँ आज भी हमारे परिवार का भरण-पोषण कृषि से होता है। इस क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगे हुये है आज से 20 वर्ष पहले यहा उद्योगो का लगना चालु हुआ और हम इस 20 वर्ष में उद्योगों की सफलता को देखे तो यहा पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। विकास नाम मात्र का हो रहा है ओर विनाश बहुत हुआ है। यहा पर जितने भी उद्योग लगे है और यहा के प्रत्येक गांव को देखेंगे तो हर एक गांव में 02-04 प्लांट आपको यहा लगे मिलेंगे और उस गांव की स्थिति बहुत बुरी है यहां के हवा में पानी में जहर घुल चुका है, मैं इसीलिये इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ। मैं पुछना चाहता हूँ कि कितने उद्योगों के द्वारा कितने बेराजगारों को रोजगार दिये है इसकी सूची जारी होना चाहिये प्रत्येक ग्रामपंचायत में, यहा कोई प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित नहीं हुआ है। यहा आप किसी भी गांव में जाईये युवाओं का बड़ा फौज आपको दिखाई देगा, जो युवा है बेरोजगार भी है और शिक्षित भी है वे काम के लिये इस प्लांट से उस प्लांट घुमते रहते है उनको स्थाई रूप से नौकरी कही नहीं मिलता है, कोई आटो चला रहा है, कोई दुकान किया है इससे उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पा रहा है। मेरा गुजारिश है कि वो लोग एक सूची जारी करे कि किन-किन गांव में कितने लोगो को रोजगार दिये है और प्रत्येक गांव में चस्पा करवाये ताकि पता चल सके कि यहा के जो उद्योग है वो जनभावना से जुड़े हुये है और वो लोग काम करने के लिये तत्पर है। यहा पर जो 20 साल पहले खेती होता था आज आधा से भी कम हो गया है और उस खेती में प्रत्येक परिवार का योगदान होता था, खेती में पुरे परिवार के सदस्य जुड़े होते थे और सारे लोगो को रोजगार मिलता था आज खेती यहा से लगभग खतम हो चुका है और लोगो के पास एक ही आपसन बचा है प्लांट में नौकरी करने के लिये। लोगो को नौकरी मिलता ही नहीं है,

स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता ही नहीं है। बाहरो लोगो को वही काम के लिये 12-15 हजार रुपये मिलता है स्थानीय लोगो को नहीं मिलता है तो इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। यहा जो हमारी पैतृक व्यवसाय थी वो भी खत्म हो चुकी है, यहा ढंग से खेती भी नहीं हाता है, यहा आप किसी के भी खेत में जाकर देखीये वहा आपको पता चल जायेगा कि यहा प्रदूषण की स्थिति क्या है, इसकी चिंता आपको और ना ही यहा के उद्योगपतियों को है। यहा छोटे बच्चे सुरक्षित नही है, शहर में जा नहीं सकते क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती गांव वालों की उनका आधार खेती-किसानी होता है, वनस्पति से उनका जीवन चलता था लेकिन आज यहा खेती भी नहीं होती है। उद्योगों के आने से यहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फायदा 02-04 हुआ है तो नुकसान अनगिनत हुये है। यहां पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। शांति यहा पर दूर-दूर तक नहीं है लोग यहा परेशान है, उद्योगों में काम भी नहीं मिलता है, इसिलिये मैं उद्योगों को विरोध करता हूं। यहा उद्योग चले तो सरकार के नियमों का पालन होना चाहिये, सरकार के दिशा-निर्देशों का यहा पानल नहीं होता है। यहा पर बाहर से लोग आ रहे है स्थानियत लोगो को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम लोग हमारे गांव में 2005 में खेती किसानी करते थे 2005 के बाद यहा खेती किसानी नही होती है यह जमीन बंजर हो चुकी है यहा खेती किसानी भी नहीं होती है यहा पर बरसात में उद्योग का डस्ट पानी जमा रहता है तो उसमें कैसे खेती-किसानी हो सकता है। हम लोग प्लांट के प्रबंधक के पास जाकर कई बार चर्चा भी किये और आश्वासन भी दिये कि हम लोग इसका निराकरण करेंगे, निराकरण नहीं होने पर हम लोग पर्यावरण अधिकारी के पास गये और वो अपना टीम लेकर आये और कंपनी प्रबंधक को भी बुलाये हम अपने गांव की समस्याओं को बताये और अवगत कराये और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया लेकिन 02-04 दिन बाद वहीं स्थिति हो गई। रात भर ये लोग ई.एस.पी. मशीन को चलाते नहीं है, दिन में चलाते है। पुरी तरह गांव में डस्ट की मोटी परत जग गई है। हम लोग जाते है तालाब में नहाने के लिये तो देखते है कि ई.एस.पी. मशीन बंद रहता है, वातावरण पुरा काला रहता है उसके बाद हम फिर शिकायत करने है पर्यावरण अधिकारी के पास वे आश्वासन जरूर देते है लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं करते। यहा पर आते है और पता नहीं उनका क्या साठ-गाठ होता है तो हम कहा-कहा जाये और किसके पास जाये। हमारा क्षेत्र औद्योगिक होने के नाते प्रदूषण से वातावरण में जहर घुल चुका है। मैं चाहता हूँ कि यहा उद्योग लगे तो सरकार के मापदण्डो का पुरी तरह से पालन हो। अगर मापदण्ड सुनिश्चित नहीं करवा सकते तो जनसुनवाई को स्थगित करे। सरकार के नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिये, यहा कि जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पत्ते यहा के गवाही देते है कि यहा कितना प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण यहा का पर्यावरण बिगड़ चुका है, यहा की सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि यहा सी.एस.आर. मद से जितने भी कंपनी है हम उनको बोलेंगे और यहा सुधार कार्य किया जायेगा, आज 06 महिना बित गया है आप लोगो ने क्या

कार्यवाही किया है। ओवर लोड गाड़ियों को यहा आवा-जाही बना रहता है जिससे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। यहा पर जमीनी स्तर पर कार्यवाही होना चाहिये। हमारे गांव में मॉ काली एलायज है वहा बहुत प्रदूषण है जिससे हम लोग 16 साल से खेती करना बंद कर दिये है, वह जमीन बंजर बन गई, उद्योग निति का पालन नहीं हो रहा है इसलिये यहा के मूल निवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहा के छोट-छोटे बच्चो पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम भी विकास चाहते है लेकिन ऐसे विकास का विरोध करते है क्यों कि यह एक तरफा विकास कर रहे है, जनकल्याण के लिये नहीं कर रहे है। आज 15 साल से मैं जमीन पर खेती नहीं कर रहा हूँ आप वहा आईये मैं आपको दिखाता हूँ कि वहा की स्थिति कैसी है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा हुआ है लेकिन वह ठीक ढंग से चलते नहीं है तो इस विषय पर आप क्या करेंगे। ये लोग ई.एस.पी. नहीं चलाते है। यहा के जीव-जंतु कहा जायेंगे। साल में एक बार पर्यावरण दिवस मनाते है और एक सेल्फी ले लेते है उसके बाद कोई पुछने नहीं आता है। पर्यावरण प्रदूषण पर कब चिंता करेगा। 02 साल तक उसका निगरानी होना चाहिये। पर्यावरण के प्रति आप लोग असफल हो चुके है हम आदिवासी लोग यहा की चिंता करते है। यहा साग-सब्जी नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों का जवाब दिया जायेगा और उचित कार्यवाही की जावेगी।

456. अमृत सागर, गेरवानी – यहा उद्योग बहुत सारे लगे है और सभी बाहर से आकर काम करते है। यहा के निवासियों को 02-04 लोगो को काम दे दिया गया है वो भी ठेकेदारी के अंदर करते है, 12 घंटे काम कराते है और बोलते है थोड़ा सा भी झपकी लेगा तो 04 दिन का पेमेंट काट देना। 08 घंटे का सिस्टम है उसी के अनुसार काम कराना चाहिये। स्थानिय लोगो को कितने लोगो को 08 घंटे का काम देते है। ठेकेदारी के माध्यम से कंपनी वाले लगवाते है। आप रोजगार दे रहे है तो मान-सम्मान के साथ दो। रात में ड्यूटी करते है तो थोड़ा सा झपकी तो आ ही जाता है। पुरा सिस्टम आप लोग बिगाड़ कर रखे हो। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
457. गोपाल सिदार, गेरवानी – मैं इस कंपनी का विरोध इसलिये करता हूँ क्योंकि हमारी जो प्रशासन है धीमी गती से चल रहा है यहा जनसुनवाई करवा के क्या कर लेते है और क्या दर्शाना चाहते है। क्या जनमानस के 90 प्रतिशत विरोध करने से कंपनी की स्थापना रूक जायेगी, विस्तार रूक जायेगा, अगर नहीं रूकता है तो यह ढकोसला क्यों? पर्यावरण के साथ खिलवाड़ क्यों? आप लोग रायगढ़ से या तमनार से यहा 4 पहिया वाहन से आये खास आप लोग 2 पहिया वाहन से आते तो अहसास होता कि यहा की आम जनता यहा रोड से बत्तर रोड पर कैसे आवागमन करती है, बंजारी से रायगढ़ पहुंचते तक उसकी स्थिति ऐसी खराब हो जाती है जैसे कि वो पुरा डस्ट से नहाया हुआ हो, या डस्ट के खदान से इस पास से उस पार निकला हो, पता नहीं यहा के लोग इन बातों को ध्यान क्यों नहीं देते। आज लोगो ने यहा पर बहुत सारे जनसुनवाई का आयोजन किया है, बहुत सारे लोगो ने समर्थन किया है, बहुत सारे लोगो ने विरोध किया,

क्या समर्थन किया गया उन लोगो से ये पुछा गया कि आप किस आधार पर समर्थन कर रहे है। वो तो जो बेरोजगार होते है उनको पैसे का लालच दकर 100-200 रुपये दिया जाता है और कहा जाता है कि जाकर सिर्फ तुम यह कहना कि मैं इस कंपनी का समर्थन कर रहा हूँ। जिस तरह गांधी जी के 03 बंदर होते है उसी तरह आप लोग है कि कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, कुछ कहो मत। हमारे यहा मुनादी कराया गया कोठवार को माईक पकड़कर खड़ा कर दिया गया और रिकार्ड कर लिया गया यह किस प्रकार का जनसुनवाई है। सरकारी आदमी आते है और कहते है हम गये थे सरपंच के पास, क्या आम आदमी के पास बाद पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है तो ये रिकार्डिंग क्यों की जाती है। क्या पर्यावरण अधिकारी यह देखे है कि उद्योग लगाने के लिये कितने पेड़ो को काट दिया गया और उसके एवज में कितने पौधे लगाये गये। उद्योग वाले कहते है कि हमने पेड़ लगाये है, क्या पेड़ लगाये है तो गुलमोहर का क्या एक प्रजाती के पेड़ लगाने से हमारा पर्यावरण संतुलन बन जाता है। प्रशासन को लोगो की कोई फिक्र नहीं है। कितने बेरोजगार है, शिक्षा का माध्यम बढ़ रहा है या नहीं, आम आदमी डस्ट खा रहा है या नहीं कोई मतलब नहीं है। जनसुनवाई में कई लोगो ने सवाल किया कि हमारे रोड का क्या स्थिति है, कब तक बन जायेगा, उनको सिर्फ मिलता है आश्वासन। बहुत बुरी स्थिति हो गई है हमारे क्षेत्र की। आप लोग जायेंगे यहा से तो मेरा कहना है कि वाहन का सिसा नीचे कर के जाईये आप लोगो को अहसास तो होगा कि लोग बोलते है वो गलत नहीं बोलते। उद्योग वाले चंद दलालो के माध्यम से जनसमर्थन को पुरा जोर-सोर से करते है, कुछ पैसों का खेल किया जाता है लेकिन लोगो को यह पता नहीं रहता है कि हम जिस कंपनी का समर्थन करने जा रहे है कल वही कंपनी कुछ ना कुछ बहाना करके हमे इस कंपनी से बाहर निकाल देगी और दुसरे जगह से लोगो को बुलाया जायेगा, उनको अच्छा वेतन दिया जायेगा, स्थानिय लोगो को 08-10 हजार मिलता है इसमें ना तो वो घर गुजार पाता है, ना बच्चे का सही शिक्षा कर पाता है, प्रशासन इस पर चुप्पी बैठी है। क्या पर्यावरण अधिकारी उद्योगो का हर सप्ताज जाँच करने के लिये आते है, नहीं आते है मेरे ख्याल से पर्यावरण अधिकारी को ये भी पता नहीं होगा कि कहा-कहा डस्ट डाले जा रहे है, उद्योगो द्वारा जहा-तहा डस्ट डाल दिया जाता है और उसका भरपाई वहा के लोगो को करना पड़ता है। पहले यहा उद्योग स्थापित नहीं थे, मैं मानता हूँ कि यहा पर विकास नहीं हो पाया था उस समय, आज उससे अच्छा विकास हुआ है, लेकिन उतना ही हमे नुकशान हुआ है। पहले बंजारी मंदिर में बहुत से पशु-पक्षी दिखाई देते थे और आज आये हैं तो किसी ने पक्षी की चहचहाट नहीं सुनी है। उद्योगो द्वारा छोटी-छोटी बातो के लिये काम से निकाल दिया जाता है और बाहर से बुलाया जाता है काम करने के लिये। पेड़ के पत्ते देखो डस्ट फैला हुआ है, कोई मतलब नहीं है, हम हमारे आने वाले पिढ़ी को क्या सिखायेंगे पेड़-पौधे के पत्ते हरे नहीं होते है काले होते है। मैं उद्योग का विरोध करता हूँ। अगर समस्या का निराकरण नहीं कर सकते तो ढकोसला करने की कोई जरूरत नहीं है।

458. सूरज कुमार, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे एरिया को कि कितना प्रदूषण है यहा पर और रोड को भी आप देख ही रहे हैं गड्डा तो लगता ही होगा। आप यहा बैठते हैं तो लगता होगा कि यहा डस्ट है। मेरा विनती है कि यहा जो जनसुनवाई होता है यहा पर मिनरल वाटर का इस्तेमाल ना किया जाये। एक दिन पहले पानी को खुला रख दिया जाये और उसको पिया जाये उसके बाद जनसुनवाई करवाये, और प्लांट के मालिको को भी अनुभव करवाईये और अच्छे से जनसुनवाई करवाईये ताकि और अच्छे से डस्ट बढे, वातावरण और खराब हो। महोदय बस कीजिये मत करवाईये जनसुनवाई, बिना जनसुनवाई के एन.ओ.सी. दे दीजिये, प्लांट लगाने की परमिशन दे दीजिये, मत खर्च करवाईये उनका, समर्थन तो मिलना ही है उनको आप लोगो का, दलाल लोगो का समर्थन मिलना ही है तो क्यों कागजी कार्यवाही करते हैं। आप प्लांट लगाईये, दुसरे राज्यों से लेबर लाईये और उनकी आय बढाईये, स्थानिय लोगो का आय कम कीजिये उनको डस्ट खिलाईये। यहा पब्लिक तालाब में नहाने के लिये जाते हैं उसको देखीये डस्ट कितना है, नदी में कितना डस्ट है, तालाब में कितना डस्ट है। गांव में प्लास्टिक का कढर लगवा दीजिये और ए.सी. को गांव में लगवा दीजिये ताकि अच्छी-अच्छी हवा मिलती रही उनको। कल और जनसुनवाई है। आप लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल मत कीजिये यहा का नार्मल पानी पिजिये, और सब को खुल्ला पानी पिलाईये। यहा ड्रम रखवाईये और दो घंटे बाद सबको पानी पिलाईये। क्या यहा मोदी जी आयेंगे, राहुल गांधी आयेंगे समर्थन के लिये। यहा पर नदी बहती है वहा सबको पानी पिलाईये। सर आप इतना बोल दीजिये कि यहा के सब लोग खुल्ला पानी पियेंगे और आप यहा बाईक में यहा आयेंगे बोल दीजिये मैं समर्थन करने के लिये तैयार हूँ। हमारा नदी स्वच्छ होना चाहिये यहा कि पानी स्वच्छ होना चाहिये, कंपनी में काम करने वाले आते हैं समर्थन के लिये। सरपंच को 5000 दे दीये और एन.ओ.सी. ले लिये। यहा लोकल नागरिक को रहना है। यहा राधेगोविन्द का जनसुनवाई हो रहा है और गुरुश्री में काम करने वाला समर्थन के लिये आ रहा है कल गुरुश्री का जनसुनवाई होगा और राधेगोविन्द में काम करने वाला समर्थन के लिये आयेगा।

459. मनोज, गेरवानी, – विरोध।

460. राजेन्द्र, गेरवानी – विरोध।

461. घनश्याम – विरोध।

462. प्रेमशंकर – विरोध।

463. नवरंग – विरोध।

464. पुनीराम – विरोध।

465. अशोक – विरोध।

466. महेन्द्र – विरोध।

467. संतोष – विरोध।
468. अमरनाथ – विरोध।
469. गणेशराम – विरोध।
470. पवन रात्रे, गेरवानी – विरोध।
471. आशीष – विरोध।
472. अनुराग – विरोध।
473. तिवारी – विरोध।
474. भग्गु – विरोध।
475. राजू – विरोध।
476. अजय – विरोध।
477. दीपक – विरोध।
478. राधे – विरोध।
479. विनोद – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
480. कन्हैयालाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
481. विवके – समर्थन।
482. अमर – समर्थन।
483. धनेश्वर – समर्थन।
484. सुनील – समर्थन।
485. अमर – समर्थन।
486. रामकुमार – समर्थन।
487. सूर्या – समर्थन।
488. प्रहलाद – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
489. प्रदीप – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
490. सुखकुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
491. दीनदयाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
492. पुरुषोत्तम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
493. विजय – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
494. नरेश – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
495. सर्वकुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

496. राजा कुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
497. दीलकुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
498. संदीप – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
499. नरोत्तम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
500. चन्द्र – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
501. सतीष – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
502. विजय – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
503. छतकुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
504. भगत कुमार – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
505. अमर साय – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
506. रामदेव – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
507. पप्पु – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
508. किशोर – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
509. गुप्ता – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
510. दीलिप सिंह, पूंजीपथररा – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
511. सियाराम उनसेना, गेरवानी – मैं विरोध करता हूँ क्योंकि यहा उद्योग लगाने से पहले उद्योगपति आते है और बड़ा-बड़ा सपना दिखाते है, कहते है ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोगो को गेट से ही भगा दिया जाता है। हम स्थानिय बेरोजगार ईधर-उधर घुम रहे है। रोजगार देने के लिये यहा कोई तरीका नहीं है। आते है जनसुनवाई करा-करा कर हमको परेशान करते है, हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते है तो बोलते है आप आ जाओ और 02 दिन बाद कुछ ना कुछ बहाना करके हमको प्लांट से भगा दिया जाता है और बोलते है हमे आपका जरूरत नहीं है। यहा देखेंगे तो पेड़-पौधे के पत्ते में पुरा डस्ट जमा हुआ है। खाने में हम लोगो को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, ना हम लोग खेती कर रहे है उसमें मिल रहा है। हम लोग उद्योग का प्रदूषण खा-पी के जी रहे है। हमारा औसत जो 62 साल था वो 40-45 साल हो गया है, हमारे का यहा दुनिया भर का चर्म रोग हो रहा है, यहा बहुत सारी बिमारी हो रही है। कंपनी वाले कहते है हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे आप लोग समर्थन करो। हम लोग किसके पास शिकायत करने के लिये जाये। कहते है में ठीक है हम लोग उचित कार्यवाही करेंगे लेकिन कोई नहीं आते। हम लोगो को रोजगार नहीं मिल रहा है यहा की सब्जी काली हो गयी है, यहा का पानी पुरा खराब हो गया है हम लोग मिनरल वाटर कहा से पायेंगे। यहा खेती करते थे उसको भी खत्म कर दिये। जितने भी कंपनी है कोई भी रोजगार नहीं दे रहे है बाहरी लोगो को रोजगार दे रहे है। हम लोगो को डराते है, धमकाते है, हम लोगो को कोई

भी देखने वाला नहीं है। हमारा जमीन है और कंपनी वाले हमको ही अंदर नहीं जाने देते, कोई सुनने के लिये नहीं आता। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ। हम लोग यहा चर्म रोग से ग्रस्त है।

512. खुशीराम, गेरवानी – आप लोगो को किसने अधिकार दिया है हमारे जिंदगी से खेलने के लिये। यहा जिंदगी बद से बत्तर हो गई है। आप देखीये पेड़-पौधो को आप ही लोग पेड़-पौधो को बचा सकते है। यहा जितने भी कंपनी वाले है मेरा निवेदन है कि पेड़ो को बचाईये, सांस नहीं ले पा रहे है, तालाब को देखीये। पहले दुध में सफेद मलाई होता था और आज काला मलाई जमता है। पेड़ो को पानी से साफ करवाईये। मेसर्स राधेगोविंद स्टील एण्ड एलायस इसको एलियन होना चाहिये, मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।

513. साखा – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

514. सरोजनी – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

515. विजय – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

516. कमर – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

517. गोविंद – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

518. रथराम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

519. भगवती – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

520. अरविंद – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

521. निरंजन – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

522. मनीष – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

523. खगेश्वर – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

524. दशरथ – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

525. राहुल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

526. सुधीर – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

527. सुखराम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

528. सरन – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

529. श्यामलाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

530. दयालक्ष्मी – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

531. मंगल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

532. मित – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

533. भुपेन्द्र – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

534. रंगलाल – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
535. श्रवण – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
536. रामलाल, लाखा– आज के इस जनसुवाई कंपनी पूंजीपथरा कंपनी के क्षेत्र के अंतर्गत आता हूं। प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले। उपरोक्त प्रभावित क्षेत्र के प्रभावितगण इस जनसुनवाई में भाग लिये है। कंपनी का पूर्णरूप से समर्थन करते हैं वह इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
537. पंकज गुप्ता, सराईपाली–विरोध करता हूं। जंगल जमीन सारे बर्बाद हो चुके हैं इन उद्योगों के चक्कर में।
538. राजकुमार–विरोध करता हूं।
539. उमेश– विरोध करता हूं।
540. नवीन– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
541. योगेश्वर– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
542. पदमन– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
543. नितीन – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
544. रविदास– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
545. निरज– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
546. सुरेन– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
547. कृष्णा– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
548. सनातन– मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
549. गुरुचरण – विरोध करता हूं।
550. सुनील – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
551. बुधराम – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
552. मनोज – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
553. संदीप – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
554. संतोष – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
555. मनोरंजन – मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

अपर कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये हैं जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 02:20 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री ललित कुमार सिंघानिया द्वारा बिन्दुओं के बारे में जानकारे देते हुये कहा गया है ई.आई.ए. के संबंध में 144 धारा में दिसम्बर 2020 में नमूनो के संग्रहण के लिये 02-03 लोगो ने संग्रहण किया। इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दे में सड़क बहुत खराब है हमे ज्ञात हुआ है कि प्रशासन की ओर से प्राप्त होगा। औद्योगिक निती अधिनियम के अनुसार 60 प्रतिशत लोगो को रोजगार दिया जायेगा। प्रस्तावित उद्योग विस्तार में कोयले का उपयोग नहीं होगा। हर उद्योग में स्थानिय कार्यो में सहयोग किया जाता है। सी.आर. के तहत अनुमोदन होने के पश्चात पूंजीपथरा में लाईट लगाया जायेगा। इसमें कोई कृषि भूमि का व्यवपवर्तन नहीं होगा। यह उद्योग एलिफेंट कारिडोर से संबंधित नहीं है। उद्योग के अंतर्गत 95 लोगो स्थानिय लोगो को रोजगार दिया जायेगा।


सुनवाई के दौरान 01 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 02:45 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।


11/11/2021

(एस.के. वर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़


11/11/21

(आर.ए. कुरुवंशी)

अपर कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)